

**भारतीय मानक ब्यूरो**  
(स्थापना विभाग)

मानक भवन,  
9, बहादुर शाह जफर मार्ग,  
नई दिल्ली-110002  
दिनांक: 13.10.2022

संदर्भ: Estt-V/जी-3:2/2022

**कार्यालय आदेश**

निम्नलिखित कर्मचारियों को नीचे दिये गए विवरण के अनुसार स्थानांतरण करने का निर्णय लिया है / It has been decided to transfer the following officials as per details given below:

क्र.सं.	कर्मचारी सं.	नाम एवं पद	स्थानांतरण	
			से	में
1.	064793	Shri Raju Angalakurthi, SSA	BNBOL, Bangalore	HUBO, Hubli
2.	064530	Shri Balbir Kumar, SSA	JDBO, Jamshedpur	BNBOL, Bangalore

2. वे अपनी पोस्टिंग के अपने वर्तमान स्थान से दिनांक 13.10.2022 (अपराह्न) में कार्यमुक्त होंगे और दिनांक 14.10.2022 (पूर्वाह्न) में पोस्टिंग के अपने नये स्थान पर ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करेंगे। They shall be **STAND Relieved** from their present place of posting in the **afternoon of 13.10.2022** and shall report for duty at their new place of posting in the **forenoon of 14.10.2022**.

3. उपरोक्त कर्मचारी स्थानांतरण लाभ, जोड़निंग टाइम, आदि पाने के हकदार होंगे। उनके लिये यह आवश्यक है कि वह स्थानांतरित होने से पहले अपने सभी देय समायोजनों जैसे कि चिकित्सा, एल.टी.सी., यात्रा भत्ता, आदि का निपटान संबंधित नियमों और विनियमों के अनुसार करेंगे तथा सीजीएस कार्ड, किताब/प्रकाशन, यदि कोई हो, जोकि उन्होंने अपने नाम से जारी कराई हैं, तो विभाग को वापस करेंगे। Above officials shall be entitled for transfer benefits i.e. TA, Joining Time, etc. They are required to settle the due adjustments i.e. TA/DA, LTC, Medical, etc. in accordance with the relevant rules and regulations and shall return CGHS Card(s), any book or publication borrowed by him, if any, before relieving.

4. उनके लिये यह आवश्यक है कि वह अपनी ड्यूटी ग्रहण रिपोर्ट अपने विभागीय प्रमुख के माध्यम से स्थापना विभाग ([estt@bis.gov.in](mailto:estt@bis.gov.in)) तथा साथ ही एक कॉपी निदेशक (वित्त) ([fin@bis.gov.in](mailto:fin@bis.gov.in)) को प्रेषित करेंगे। They are required to send their Joining Report through Departmental Head to Establishment Department ([estt@bis.gov.in](mailto:estt@bis.gov.in)) together with a copy endorsed to Director (Finance) ([fin@bis.gov.in](mailto:fin@bis.gov.in)), in due course.

5. यह आदेश, सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है। This issues with the approval of Competent Authority.

  
(एन. रवि शंकर)  
निदेशक (स्थापना)

**All above concerned officials**

कापीप्रेषित:

- i) DDGA Sectt
- ii) All concerned Activity Heads
- iii) All concerned HODs
- iv) Director (Accounts)
- v) Director (Finance)
- vi) ITS Deptt.
- vii) Leave File
- viii) SOE-IV – for HFMS updation.